उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-261/2024/1697/41-2-2024-CN-1801602
लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर, 2024

संख्या-257/2024/1697/41-2-2024-**सीएन**-1801602**, दिनांक 10.10.2024 का**

शुद्धि पत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-257/2024/1697/41-2-2024-CN-1801602, दिनांक 10.10.2024 के प्रस्तर-2 में धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) के स्थान पर टंकक त्रुटिवश धनराशि रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) अंकित हो गया है।

2. अत: उक्त शासनादेश दिनांक 10.10.2024 के प्रस्तर-2 में धनराशि रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) के स्थान पर धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) अंकित किया जाता है।

3. तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 10.10.2024 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in